

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
अनुसंधान एवं विकास-II अनुभाग R&D-II Section

अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan,  
छ.शि.म. मार्ग C.S.M. Marg,  
मुम्बई Mumbai - 400 001  
(022) 2286 2763  
ई-मेल e.mail: [rd2@dae.gov.in](mailto:rd2@dae.gov.in)

सं.No. 21/20(2)/2016/IMScआयएमएससी/अनु.एव.वि.R&D-II/12892

सितंबर September 28, 2016

**विषय:** दिसंबर 11-14, 2016 के दौरान आयएसआय, कोलकाता में "इंडोक्राइप्ट - 2016" पर सम्मेलन आयोजन करने की अनुमति।

**Subject:** IMSc - Permission to organize a Conference on "INDOCRYPT - 2016" during December 11-14, 2016 at ISI, Kolkata

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर आयएमएससी के दिनांक 01.09.2016 के पत्र का संदर्भ लेने तथा दिसंबर 11-14, 2016 के दौरान आयएसआय, कोलकाता में "इंडोक्राइप्ट - 2016" पर सम्मेलन के आयोजन तथा निम्नलिखित शर्तों पर वित्तीय निहितार्थ प्रशासनिक अनुमोदन लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है:

The undersigned is directed to refer to IMSc's letter dated 01.09.2016 on the captioned subject and to convey an administrative approval of the Competent Authority for organizing a Conference on "INDOCRYPT - 2016" during December 11-14, 2016 at ISI, Kolkata with no financial implications on IMSc, Chennai subject to the following conditions:

(क) इस सम्मेलन का आयोजन फाइव स्टार होटल में नहीं किया जाएगा तथा प्रतिभागियों के लिए स्टार होटलों में कमरों की व्यवस्था नहीं की जाएगी (सरकारी खाता से);

The Conference will not be hosted in Five Star Hotels and no accommodation shall be arranged in star hotels for participants (from the government account);

(ख) आयएमएससी द्वारा कोई अंतरराष्ट्रीय यात्रा (विदेश यात्रा) के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा;

No international travel support (foreign travel) shall be committed by IMSc;

(ग) आयएमएससी आवश्यकतानुसार बाह्य संपर्क(ईआर) अनुभाग, पऊवि से राजनैतिक/सुरक्षा अनुमति प्राप्त करेगा।


IMSc shall obtain political / security clearance through External Relations (ER) Section, DAE wherever necessary;

(घ) संस्थान द्वारा सम्मेलन के आयोजन में होने वाले व्यय में अति मितव्ययता बरती जाएगी तथा संस्थान द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

Utmost austerity shall be observed by the Institute in the expenditure of Conference and the guidelines issued by the Ministry of Finance, from time to time shall be strictly adhered to by the Institute;

2. इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Secretary, DAE.

  
270916

(एस. एस. गोंडाणे/S.S. Gondane)

अवर सचिव (अनु. एव वि.-II)/Under Secretary (R&D-II)

निदेशक Director,  
आयएमएससी IMSc,  
चेन्नई Chennai

प्रतिलिपि Copy to:-

1. Registrar, IMSc, Chennai  
कुलसचिव, आयएमएससी, चेन्नई